कार्यालयः जिला मध्याह्न भोजन योजना,लखीसराय

(शिक्षा विभाग)

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार,पटना के पत्रांक–8/वि.MDMC–011/2008/5068 दिनांक–25.04.2011 के आलोक में लखीसराय जिला अन्तर्गत 2 प्रखंडों लखीसराय एवं चानन में मध्याह्न भोजन योजना के चावल उठाव एवं वितरण हेतु संवेदक का चयन किया जाना है, जिसके लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। चयन हेतु एकरारनामा की शर्ते निम्नवत् होगी:–

1. संवेदक के लिए15 पंचायत तक के प्रखंड हेतु 5 ट्रैक्टर/ट्रक तथा 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखंडों के लिए 8 ट्रैक्टर/ ट्रक की अर्हता निर्धारित है। निविदादाता को इस आशय का वाहन एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक से उनके ट्रैक्टर/ट्रक को, उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। वाहन एकरारनामा निदेशक, म0भो0यो0, बिहार, पटना के पत्रांक 1009, दिनांक 17.05.17 के अनुसार निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
2. निविदादाता के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा में संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को 50000/–(पचास हजार) रूपये का बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना,लखीसराय के पक्ष में जमा करना होगा । बैक गारंटी की जगह अन्य कोई भी जमा मान्य नही होगी।
4. निविदादाता को अनुमण्डल पदाधिकारी /आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना होगा।
5. निविदादाता को 10000/–(दस हजार) रूपये का बैक डी0डी0 अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करना होगा जो सेवा जारी रहने तक जिला मध्याह्न भोजन योजना,लखीसराय के कार्यालय में जमा रहेगा। बैंक डी0डी0 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना,लखीसराय के पक्ष में देय होगा,जोPayable at lakhisarai.होगा।
6. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायगा। मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. समय पर कार्य करने में असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य होने पर संवेदक की सुरक्षित जमा राशि 10000/–(दस हजार) रूपये जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में नाम डाल दिया जाएगा।
8. निविदा प्रखंडवार डाली जाएगी, जिसके लिए अलग–अलग बैंक गारंटी और सुरक्षित जमा देनी होगी।
9. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से निर्धारित मात्रा में चावल का उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन,ईधन लगने वाली मजदूरी,हथालन व्यय आदि सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्गतSIOके आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 20वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराई जायेगी तत्पश्चात् 31/30/29/28वीं तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायगा। प्रखंड साधन सेवी द्वारा विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को 10 वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,मध्याह्न भोजन योजना प्रखंड के विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने के उपरांत परिवहन–सह–हथालन मद में 40/–(चालीस) रूपये प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान माह की 27वीं तारीख तक करना सुनिश्चित करेगें।
10. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।
11. एकरारनामा 31.03.2018 तक के लिए किया जाएगा। संवेदक को असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रयता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।
12. निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद के दिन को पहला दिन मानते हुए 15 दिनों तक निबंधित डाक से कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,(मध्याह्न भोजन योजना,) शांति निवास जयनगर लाल पहाड़ी लखीसराय के पते पर कार्यदिवस अवधि में निविदा जमा किया जा सकेगा। समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त सीलबंद निविदाओ को अगले कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:30 बजे जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। अगर अगली तिथि अवकाश की तिथि हो तो अवकाश के बाद की तिथि को निविदा खोली जायेगी।
13. निविदादाता को बैंक डी0डी0,बैंक गारंटी इत्यादि संबंधित कागजात मूल रूप (पैन कार्ड को छोड़कर) में आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. निविदा को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति लखीसराय के पास सुरक्षित रहेगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम सर्वमान्य और वैध होगा।
15. आवेदक को आवेदन के साथ यह एकरारनामा भी संलग्न करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे निदेशालय मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के पत्रांक 1906 दिनांक–25.11.16 के आलोक में विद्यालयों को वजन करके चावल उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वजन हेतु निर्धारित वेटिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। किसी भी हालत में वजन से कम चावल उपलब्ध नहीं करायेंगे।
16. एक वाहन का एकरारनामा एक ही आवेदक के पक्ष में होना चाहिए। यदि एक से अधिक आवेदक के पक्ष में एक ही वाहन का एकरारनामा पाया जायेगा तो उक्त सभी आवेदको के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा।
17. चयनित जनप्रतिनिधि एवं PDSडीलर को संवेदक के रूप में चयन नहीं किया जायेगा। इस निविदा में वे भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
18. आवासीय प्रमाण–पत्र की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
19. एक से अधिक निविदादाता के किसी प्रखंड में सफल होने पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
20. आवेदक को आवेदन के साथ उपरोक्त शर्तों का एकरारनामा भी संलग्न करना होगा।

27/6/17	27/6/17	1.7.17	6/7/17
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी म0भो0यो0 लखीसराय।	जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय।	उप विकास आयुक्त लखीसराय।	जिला पदाधिकारी लखीसराय।